संख्या-219/चालीस-2024-बजट (2)/2019

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

<u>राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग</u> लखनऊः दिनांकः 12 अप्रैल 2024 विषयः

बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल को मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने सम्बन्धी वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश में निहित शर्तों के अधीन बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस 14 अप्रैल पर विभिन्न कार्यक्रमों/समारोह के आयोजन पर व्यय हेतु सुश्री राज्यपाल महोदया प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के लिए रु० 26,25,000/- (रुपये छब्बीस लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि प्रत्येक जनपद को रु0 35,000/- (रुपये पैतीस हजार मात्र) की दर से प्रदेश के प्रत्येक जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने/व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं। स्वीकृत धनराशि को कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

<u>नियम एवं शर्तें/प्रतिबंध</u>-

1- स्वीकृति धनराशि को प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार शत-प्रतिशत व्यय किया जायेगा तथा आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरित किये जाने के उपरान्त प्रत्येक आहरण की डी०डी०ओ० शीट की प्रमाणित प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही पूर्ण व्यय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.12.2024 से पूर्व शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा धनराशि का उपयोग करने के पश्चात् आंकड़ों का मिलान महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज से कराकर उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति शासन को दिनांक 31.12.2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में आय-व्ययक में अनुदान संख्या-053 लेखा शीर्षक 2070008001200-डा0 भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस- 2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(के0 रविन्द्र नायक)

प्रमुख सचिव

संख्या- (1)/चालीस-2024-बजट(2)/2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से भी सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उक्त आदेश की प्रति भेजते हुए समयान्तर्गत शत-प्रतिशत धनराशि का उपयोग सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र० (नोडल अधिकारी)।

3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।

4- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।

5- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, 15 सत्यनिष्ठा भवन, नार्थ हिल रोड, प्रयागराज।

6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ०प्र०।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-निय०.) अनु०-9

8- निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

9- समस्त जिला सूचना अधिकारी, उ०प्र०।

10- गार्ड बुक/बजट सहायक।0-

आज्ञा से,

(चन्द्रिका प्रसाद)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।